

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3251
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

न्यायपालिका में रिक्त पद

3251. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालतों में राज्य-वार और आज की तिथि के अनुसार न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है और रिक्त पद कितने हैं ;

(ख) पिछले पाँच वर्षों में वर्ष-वार कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और कितने रिक्त पद भरे गए हैं ;

(ग) क्या सरकार ने न्यायाधीशों के रिक्त पदों का वादों के लंचित रहने पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) न्यायाधीशों की नियुक्तियों में तीव्रता लाने और वादों के समय पर निपटान के लिए न्यायिक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हैं ?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) : 03.08.2026 की स्थिति के अनुसार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य-वार न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, कार्यरत संख्या और रिक्तियों का डाटा उपाबंध-1 और उपाबंध-2 पर है ।

(ख) से (घ) : उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत तथा सहयोगकारी प्रक्रिया है। जिसके लिए राज्य तथा केंद्रीय दोनों

स्तर पर विभिन्न सांविधानिक प्राधिकरणों से परामर्श तथा अनुमोदन अपेक्षित होता है। 2014 (मई) से 03.08.2026 तक, उच्चतम न्यायालय में 77 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1178 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में पिछले पांच वर्षों के दौरान की गई न्यायिक नियुक्तियों की संख्या तथा भरी गई रिक्तियों की वर्ष-वार संख्या निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय
2021	09	120
2022	03	165
2023	14	110
2024	04	34
2025	07	157
2026(03.08.2026 की स्थिति के अनुसार)	05	22

और, जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने का उत्तरदायित्व संबद्ध उच्च न्यायालयों तथा राज्य सरकारों का है। सांविधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 तथा 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति तथा भर्ती से संबंधित नियमों तथा विनियमों की विरचना करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मलिक मज्जहर सुल्तान मामले में जनवरी, 2007 में पारित आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ कतिपय समय सीमाएं नियत की हैं, जिनका अनुकरण जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए राज्यों तथा संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाना होगा।

पिछले पांच वर्षों के दौरान जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत तथा कार्यरत संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
2021	24492	19328
2022	25077	19319
2023	25345	20018
2024	25753	20694
2025	25900	21093
2026(03.08.2026 की स्थिति के अनुसार)	30868	23558

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है । न्यायालयों में मामलों का निपटान अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों तथा न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता, समर्थनकारी न्यायालय कर्मचारीवृंद, भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, अन्वेषण की गुणवत्ता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाह, मुवक्किल भी हैं । तथापि, सरकार मामलों के त्वरित निपटान तथा लंबन को कम करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करने हेतु अनेकों पहल की हैं, जो अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की समय रहते नियुक्ति, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति तथा विधान संबंधी उपाय, अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र का संवर्द्धन, नई दंड विधि, 2023 का अधिनियमन तथा कार्यान्वयन, त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना, न्यायालय प्रक्रिया की पुनःइंजीनियरी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी है, को अंतर्वलित करता है ।

‘न्यायपालिका में रिक्तियों’ के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3251 जिसका उत्तर तारीख 07.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

03.08.2026 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों, राज्य-वार में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, कार्यरत संख्या तथा रिक्तियां

	न्यायालय का नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्तियां
अ.	उच्चतम न्यायालय	38	35	3
आ.	उच्च न्यायालय			
1	इलाहाबाद	160	107	53
2	आंध्र प्रदेश	37	32	5
3	बम्बई	94	75	19
4	कलकत्ता	72	41	31
5	छत्तीसगढ़	22	13	9
6	दिल्ली	60	44	16
7	गुवाहाटी	30	24	6
8	गुजरात	52	34	18
9	हिमाचल प्रदेश	17	12	5
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	25	12	13
11	झारखंड	25	13	12
12	कर्नाटक	62	48	14
13	केरल	47	36	11
14	मध्य प्रदेश	53	37	16
15	मद्रास	75	51	24
16	मणिपुर	5	3	2
17	मेघालय	4	4	0
18	उड़ीसा	33	17	16
19	पटना	53	43	10
20	पंजाब और हरियाणा	85	55	30
21	राजस्थान	50	39	11
22	सिक्किम	3	2	1
23	तेलंगाना	42	27	15
24	त्रिपुरा	5	4	1
25	उत्तराखंड	11	8	3
	कुल	1122	781	341

उपाबंध-2

‘न्यायपालिका में रिक्रिया’ के संबंध में लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 3251 जिसका उत्तर तारीख 07.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

03.08.2026 की स्थिति के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों, राज्य-वार में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, कार्यरत संख्या तथा रिक्रिया

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्रिया
1.	आंध्र प्रदेश	739	565	174
2.	अरुणाचल प्रदेश	53	39	14
3.	असम	486	445	41
4.	बिहार	2032	1658	374
5.	चंडीगढ़	30	30	0
6.	छत्तीसगढ़	677	500	177
7.	दादर और नागर हवेली	3	2	1
8.	दमण और दीव	4	4	0
9.	दिल्ली	950	832	118
10.	गोवा	60	57	3
11.	गुजरात	1720	1185	535
12.	हरियाणा	787	648	139
13.	हिमाचल प्रदेश	192	172	20
14.	जम्मू - कश्मीर	322	267	55
15.	झारखंड	710	498	212
16.	कर्नाटक	2812	1172	1640
17.	केरल	614	574	40
18.	लद्दाख	17	8	9
19.	लक्षद्वीप	5	2	3
20.	मध्य प्रदेश	2051	1683	368
21.	महाराष्ट्र	5247	4350	897
22.	मणिपुर	72	47	25
23.	मेघालय	99	57	42
24.	मिजोरम	74	45	29
25.	नागालैंड	34	24	10
26.	ओडिशा	1183	854	329
27.	पुदुचेरी	38	26	12
28.	पंजाब	834	696	138
29.	राजस्थान	1712	1517	195
30.	सिक्किम	36	31	5
31.	तमिलनाडु	1400	1204	196
32.	तेलंगाना	619	474	145
33.	त्रिपुरा	133	119	14
34.	उत्तर प्रदेश	3700	2618	1082
35.	उत्तराखंड	318	280	38
36.	पश्चिमी बंगाल	1105	875	230
	अंदमान और निकोबार			
	कुल	30,868	23,558	7,310

स्रोत: न्याय विकास पोर्टल 2.0
